

“ई-निविदा सूचना”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रुद्रपुर में 01 वर्ष की अवधि के लिये आउटसोर्स के माध्यम से मानवशक्ति की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों/सेवाप्रदाताओं/एजेन्सीयों/आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 03.06.2025 की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 23.06.2025 की सांय 05:00 बजे तक दोहरी निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) के अन्तर्गत पृथक-पृथक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 24.06.2025 को दोपहर 12:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी / शर्त उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com से डाउनलोड की जा सकती है। ई-निविदा के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक नगर निगम, रुद्रपुर कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा।

—ह0—
(नरेश दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर, (ऊ0सिं0 नगर)

—ह0—
(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम, रुद्रपुर, (ऊ0सिं0 नगर)

कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
Tel--05944-242400 E-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक - 619 / अधि0अनु0 / 2025-26

दिनांक- 02 जून, 2025

प्रतिलिपि:- निम्न कों सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
6. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त ई-निविदा सूचना को 6X8 सेमी0 साईज में अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत या उससे अधिक छूट देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. श्री विनोद कुमार, बहुद्देशीय कर्मी, नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तों को नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(नरेश दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

आउटसोर्स के माध्यम से मानवशक्ति (मैन पॉवर) उपलब्ध कराये जाने हेतु ई-निविदा की शर्त:-

निविदा फार्म का मूल्य ₹0 10000+1800 (GST 18%)=11800.00

- नगर निगम में निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष तक के लिए आउटसोर्स के माध्यम से मानवशक्ति उपलब्ध कराने के सापेक्ष निविदा की अनुमानित लागत ₹0 5,00,00,000.00 (पाँच करोड़ रुपये मात्र) है।
- मानवशक्ति (मैन पॉवर) उपलब्ध कराये जाने हेतु आमंत्रित निविदा की अवधि निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की होगी, जिसे कार्यसंतोषजनक होने पर अधिकतम 02 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैनपॉवर) को निगम सेवाओं में विनियमीतिरण (Regularization) या समायोजन (Absorption) के अधिकार नहीं होंगा।
- नगर निगम में विभागीय कार्यों की आवश्यकता के अनुसार समयावधि बढ़ाये जाने अथवा सन्तोषजनक कार्य न करने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर को होगा।
- निविदादाता को अपने निविदा डिजिटल हस्ताक्षर सहित Tender Time Schedule (Key Dates) के अनुसार जमा करना होगा। जिन निविदादाताओं की निविदा नियत समय पर अपलोड होगी, सिस्टम उन्हें को स्वीकार करेगा।

Key Dates निम्नानुसार होंगी:-

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1-	Date of Online Publication	03/06/2025	11:00 am
2-	Documents Download Start Date	03/06/2025	11:00 am
3-	Bid Submission Start Date	03/06/2025	11:00 am
4-	Pre Bid Date	09/06/2025	11:00 am
5-	Bid Submission End Date	23/06/2025	05:00 pm
6-	Offline Submission of Hard/Original Copy of Documents: End date	24/06/2025	11:00 am
7-	Bid Opening Date	24/06/2025	12:00 pm

- निविदादाता निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर निगम रुद्रपुर के कार्यालय से तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktenders.gov.in व नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा शुल्क ₹0 10000 + GST @ 18% = 11,800.00 (ग्यारह हजार आठ सौ रुपये मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के नाम हो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
- तकनीकी निविदा के साथ ₹0 10,00,000.00 (दस लाख रुपये मात्र) का नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के नाम से बन्धक एफडीआर/सीडीआर जमानत धनराशि के रूप में संलग्न कर जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
- सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार का श्रम विभाग, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, आयकर विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा तकनीकी निविदा के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा तकनीकी निविदा के साथ विगत 04 वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 व 2024-25) में से किन्ही 03 वर्ष के आई0टी0आर0 को स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा तकनीकी निविदा के साथ उसकी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
- सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को तकनीकी निविदा के साथ विगत 04 वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 व 2024-25) में से किन्ही 03 वर्ष के टर्नओवर के सम्बन्ध में सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र (यू0डी0आई0एन0 नम्बर युक्त) एवं बैलेन्स सीट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा किसी एक वर्ष का न्यूनतम टर्नओवर ₹0 5,00,00,000.00 (पाँच करोड़ रुपये मात्र) एवं तीन वर्षों का सम्मिलित करते हुए 15,00,00,000.00 (पन्द्रह करोड़ रुपये मात्र) होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
- सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को तकनीकी निविदा के साथ विगत 03 वर्षों की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित Positive Net Worth Certificate संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को तकनीकी निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो कि न्यूनतम एक करोड होना अनिवार्य है।
12. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को अनुभव के सम्बन्ध में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/स्वायत्तशासी इकाइयों में मानवशक्ति (मैन पॉवर) उपलब्ध कराये जाने हेतु विगत 04 वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 व 2024-25) में से किन्ही तीन वर्षों में निर्गत दो कार्य आदेशों एवं दो कार्य संतोषजनक होने के प्रमाण पत्र जिनमें से किन्ही 02 विभागों में 200 कार्मिक आपूर्ति का कार्य आदेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र पृथक पृथक संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2025 के न्यूनतम 200 कार्मिकों के ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 के चालान की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे।
14. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2025 के जी0एस0टी0 3बी रिटर्न अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे।
15. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को शासनादेश संख्या 223817 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0 अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा तकनीकी निविदा के साथ संलग्न सभी (क्र0सं0 05 से 14 तक) अभिलेख/प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होने अनिवार्य है। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
17. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को प्रत्येक माह की 15 वीं तारीख तक ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 जमा कर प्रमाण पत्र नगर निगम रुद्रपुर के लेखा अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
18. फर्म/ठेकेदार द्वारा आउटसोर्सिंग पर लगाये जाने वाले प्रत्येक कार्मिकों को भुगतान की जाने वाली धनराशि सीधे उसके बैंक खाते में स्थानांतरित करनी होगी तथा तत्सम्बन्धी सूचना/स्टेटमेंट नगर निगम, रुद्रपुर को प्रतिमाह उपलब्ध करानी होगी। इस प्रक्रिया के पश्चात् ही फर्म/ठेकेदार को संबंधित माह का बिल भुगतान किया जाएगा।
19. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा आउटसोर्स पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को माह की 7वीं तारीख तक मानदेय/वेतन/मजदूरी का नियमित भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। कार्मिकों को माह की 7वीं तारीख तक भुगतान न किये जाने की दशा में आउटसोर्सिंग ऐजेन्सी को भुगतान किये जाने वाले बिल में से ठेकेदार के लाभांश में से 20 प्रतिशत अर्थदण्ड कटौती कर लिया जायेगा। जो सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के ईपीएफ में जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि के रूप में ईपीएफ कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।
20. सफल निविदादाता को प्रत्येक कार्मिक का पूर्ण विवरण शैक्षिक योग्यता, पत्राचार का पता, तकनीकी अर्हता प्रमाण पत्र, मोबाईल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण कार्य पूर्ण करने से पूर्व नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
21. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) को पद के सापेक्ष निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवश्यकता के अनुरूप सफलतापूर्वक कार्य न करने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति को कार्य से हटा दिया जायेगा तथा उसके स्थान पर सम्बन्धित संस्था/फर्म/ठेकेदार का एक सप्ताह के भीतर दूसरा कार्मिक उपलब्ध कराना अनिवार्य है एवं नये आने वाली कार्मिक के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पूर्ण विवरण देना होगा।
22. उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के कार्य व्यवहार और आचरण की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी तथा नगर आयुक्त किसी भी कर्मों को कार्य से हटाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति फर्म द्वारा नहीं की जा सकेगी।
23. मानवशक्ति (मैन पॉवर) का विवरण-

क्र. सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता	कार्मिकों की संख्या
1.	पर्यावरण मित्र	—	200
2.	बहुउद्देशीय निकाय कर्मी (परिचारक, चौकीदार, बेलदार, क्लीनर)	केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10 वीं उत्तीर्ण।	27
3.	आशुलिपिक	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट। 2-केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि में डिप्लोमा/आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र	01
4.	वाहन चालक	1- आठवीं उत्तीर्ण, 2- वैद्य लाईसेन्स (हल्का/भारी) (निगम में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु)	12
5.	प्रकाश निरीक्षक	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट। 2-केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा/आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र	01
6.	लाईनमैन	1- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाईस्कूल उत्तीर्ण	05

		2- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाण पत्र	
7.	सर्वेयर	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2-केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ट्रेड में डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाण पत्र	01
8.	वर्क ऐजेण्ट	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ट्रेड में डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाण पत्र	03
9.	माली	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 8 वीं उत्तीर्ण 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से माली ट्रेड में डिप्लोमा	04
10.	कारपेन्टर	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कारपेन्टर ट्रेड में डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाण पत्र	01
कुल योग			255

24. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार पीडब्ल्यूडी/ईपीएफ/ईएसआईसी/श्रम कानून से आवृत्त होगा। जिन्हें न मानने अथवा इनके अनुसार कार्मिकों के लाभों/अधिकारों का हनन करने व विपरीत स्थिति में सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा जमा धरोहर/जमानत राशि निगम के पक्ष में जब्त कर सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकती है।
25. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालकों के रात्रि में कार्य करने पर अगले कार्यदिवस एवं अवकाश में गये हुए वाहन चालक के कार्य हेतु कर्मी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी अनिवार्य है।
26. वित्तीय निविदा का निर्धारण ई-निविदा हेतु वित्तीय निविदा के निर्धारित प्रारूप (बीओक्यू) में कार्मिकवार प्रतिमाह कुल योग के आधार पर की जायेगी।
27. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को न्यूनतम सेवा शुल्क शासनादेश संख्या F.6/1/2023-PPD दिनांक 06.01.2023 के अनुसार दर्ज करना अनिवार्य होगा।
28. निविदा में टाई की स्थिति होने पर उत्तराखण्ड स्टार्टअप, एन0सी0ई0सी0 एवं क्रय वरीयता नीति तीनों में पंजीकृत फर्म को वरीयता दी जाएगी, जो सभी पक्षकारों को मान्य होगी।
29. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ निम्न प्रारूप में सूचना तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी-

क्रम सं०	संस्था का नाम	उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का विवरण	कार्य की अवधि

30. निविदादाता फर्म को 31.03.2025 तक की तिथि को उसके द्वारा पूर्ण किये गये सभी कार्य आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट सम्बन्धी पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर देना होगा तथा प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/संगठन/संस्था द्वारा जारी कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है। जिसके न होने की स्थिति में फर्म को तकनीकी रूप से अर्ह नहीं माना जायेगा।
31. निविदादाता को सम्पूर्ण भारतवर्ष में ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी रू० 100.00 (सौ रुपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
32. सफल निविदादाता को कार्य की निविदा राशि के सापेक्ष 5 प्रतिशत धनराशि (रू० 25 लाख मात्र) की नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक एफडीआर/सीडीआर जिसकी वैधता अनुबन्ध समाप्ति के दो माह बाद तक की होगी, कार्यपूर्ति जमानत के रूप में अनुबन्ध गठित करते समय कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य है।
33. किसी भी दशा में आउटसोर्स कर्मियों को उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड श्रम विभाग (जो भी कम हो) द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से न्यून धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि न्यूनतम पारिश्रमिक से कम भुगतान किया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
34. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को माह की समाप्ति पर नगर निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई मानवशक्ति (मैन पॉवर) की उपस्थिति के सापेक्ष कार्मिकों को भुगतान किया जाएगा।
35. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) में कार्मिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
36. सशर्त निविदाएं किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।

37. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को तकनीकी निविदा में अपलोड किये गये ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र, जमानत व निविदा शुल्क की एफडीआर/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रतियां सीलबन्द लिफाफे में निर्धारित की-डेट्स के अनुसार नगर निगम रुद्रपुर के कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य है।
38. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त/अस्वीकृत करने अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर को होगा।
39. निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर का निर्णय अन्तिम और सभी निविदादाताओं को मान्य एवं बाध्यकारी होगा।
40. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गए किसी कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक रूप से कार्य छोड़ने से पहले कम से कम 15 दिवसों का नोटिस देना अनिवार्य होगा। किसी कार्मिक के नगर निगम, रुद्रपुर को 15 दिवसों का नोटिस दिये बिना कार्य छोड़ने की दशा में सेवाप्रदाता के मासिक बिल से नोटिस अवधि के बराबर की धनराशि काट ली जायेगी।
41. नगर निगम रुद्रपुर की आवश्यकतानुसार मानवशक्ति (मैन पॉवर) की संख्या नियमानुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती है।
42. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को स्वीकृत निविदा की कार्य मद में नगर निगम रुद्रपुर को सम्पूर्ण सेवायें देनी होंगी।
43. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) में भी नियमानुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी अध्यावधिक शासनादेशों (समय-समय पर परिवर्तनीय) का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस हेतु सम्बन्धित कार्मिक का आरक्षण प्रमाण पत्र (उत्तराखण्ड में लागू) भी उपलब्ध कराना होगा।
44. यदि किसी कर्म के कार्यों के कारण निगम सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
45. फर्म द्वारा आउटसोर्स पर नगर निगम रुद्रपुर को उपलब्ध कराये गये कर्मियों का नियमित नियुक्ति/वेतनमान प्रदान करने का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा तथा नियमित नियुक्ति होने पर सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल हटा दिया जायेगा एवं किसी भी न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि आउटसोर्स कर्म द्वारा किसी न्यायालय में इस प्रकार दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
46. उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों में से किसी भी एक अथवा समस्त शर्तों का पालन न करने/शर्तों के उल्लंघन करने की दशा में निविदा/अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार का होगा।
47. शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
48. उपलब्ध कराई गई मानवशक्ति (मैन पॉवर) में अनुपस्थित व्यक्तियों के वेतन कटौती दिनों के अनुसार की जायेगी।
49. उपरोक्त समस्त शर्तों में एम.एस.एम.ई को नियमानुसार छूट दी जायेगी।
50. निविदा खोले जाने की तिथि को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/शासन/जिला प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित कर दिये जाने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।
51. वित्तीय निविदा भरते समय निविदादाताओं को इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2(II)/IV(17/22)-02(घो0)/22 T.C. दिनांक 12.04.2022 में पर्यावरण मित्रों को रू0 500.00 प्रतिदिन मानदेय निर्धारित किया गया है। शासन से आदेश प्राप्त होने पर उसका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही समय-समय पर मा0 न्यायालय/शासन/प्रशासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन दोनों पक्षों को करना होगा।

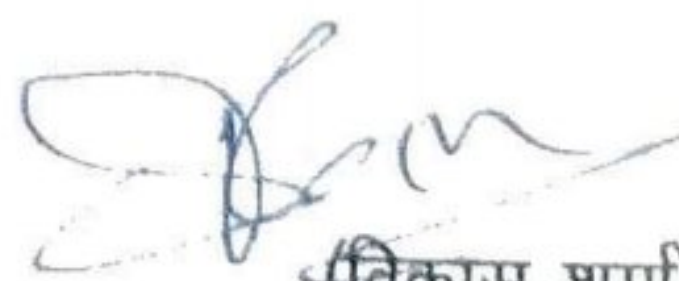

(शाहीन मलिक)
अधिष्ठान लिपिक
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(प्रशान्त जौहरी)
प्र0 सहायक लेखाकार
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(शिखा जैसी पाण्डेय)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(नरेश कुमार)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर